न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
131/2019 (RCMS 2019/00077)	19.07.2019	16.10.2019

अनवान

1. मेघराज पिता रतनलाल गुर्जर आयु 38 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. मुकेश पिता रतनलाल गुर्जर आयु 34 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. मदनलाल पिता मथरा गुर्जर आयु 56वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

वादीगण

बनाम

1. रतनलाल पिता मथरा गुर्जर आयु 65 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. कंकूबाई पत्नि सोहनलाल गुर्जर आयु 60 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. गीता पुत्री भगवानलाल गुर्जर आयु 25 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. कालुलाल पुत्र भगवानलाल गुर्जर आयु 20 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
5. कंचन पत्नि कालु गुर्जर आयु 56 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
6. नर्बदा पत्नि भैरूलाल गुर्जर आयु 54 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
7. प्रेम पत्नि कंवरलाल गुर्जर आयु 52 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
8. डाली पत्नि रतनलाल गुर्जर आयु 63 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
9. श्रवणसिंह राव पिता गणपत सिंह जी राव आयु वयस्क निवासी डेलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ ।
10. तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री बीएल पोखरना	वादीगण
	अधिवक्ता श्री पंकज टेलर	प्रतिवादी संख्या 1 से 9 तक
	पैरोकार सरकार	प्रतिवादी संख्या 10

–:: वादपत्र बाबत् घोषणात्मक डिक्री एवं इन्द्राज दुरुस्ती अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि राजस्व ग्राम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लालजी का खेडा पटवार हल्का ओछडी में आराजीयात आराजी संख्या 204, 205, 259, 260, 261, 285, 286 कुल किता 7 कुल रकबा 3.56 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। ग्राम लालजी का खेडा पटवार हल्का ओछडी में आराजीयात आराजी संख्या 404, 407, 408 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। राजस्व ग्राम लालजी का खेडा पटवार हल्का ओछडी में आराजीयात आराजी संख्या 416/666 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। राजस्व ग्राम लालजी का खेडा पटवार हल्का ओछडी में आराजी संख्या 207 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है एवं ग्राम लालजी का खेडा पटवार हल्का औछडी में आराजी संख्या 258 कुल किता 1 कुल रकबा 2.78 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। वादपत्र में अंकित आराजीयात में श्रीमती नानी पत्नि मथरा जी गुर्जर निवासी लालजी का खेडा का उक्त आराजीयात में आराजी संख्या 204, 205, 259, 260, 261, 285, 286 कुल किता 7 कुल रकबा 3.56 हैक्टर में 1/3 हिस्सा, आराजी संख्या 404, 407, 408 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 हैक्टर में 1/3 हिस्सा, आराजी संख्या 258 कुल किता 1 कुल रकबा 2.78 हैक्टर 1/3 हिस्सा, आराजी संख्या 207 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टर में 1/6 हिस्सा एवं आराजी संख्या 416/666 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टर में 1/12 हिस्सा दर्ज अभिलिखित है। उपरोक्त श्रीमती नानी पत्नि मथरा जी गुर्जर निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ का निधन दिनांक 18.09.2018 को हो चुका है। जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न वादपत्र है। श्रीमती नानी पत्नि मथरा जी गुर्जर निवासी लालजी का खेडा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 14.09.2018 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में अपने संपूर्ण निहित हिस्से में वादी संख्या 1 व 3 को 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 3 को 1/2 हिस्सा को विधि अनुसार वसीयत कर दिया। जिसका वैध वसीयतनामा उक्त नानी पत्नि मथरा गुर्जर निवासी लालजी का खेडा ने दिनांक 14.09.2018 को अपने जीवनकाल में विधि अनुसार दो साक्षीगण के समक्ष निष्पादित कर पब्लिक नोटेरी से प्रमाणित करवा दिया। इस प्रकार वादपत्र की चरण संख्या 1 के खण्ड अ ब स द य में वर्णित आराजीयात में जिस प्रकार नानी पत्नि मथरा जी गुर्जर निवासी लालजी का खेडा का हिस्सा खातेदारी था उसे हिस्सा अनुसार वादीगण को वसीयत कर दिया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जो नानी की मृत्यु दिनांक 18.09.2018 के पश्चात् वसीयत अनुसार वादीगण के वैधानिक अधिकार एवं कब्जे काश्त में चला आ रहा हैं और वादीगण उक्त वसीयत के आधार पर उक्त वर्णित नानी के हिस्से के विधि अनुसार निम्न प्रकार से खातेदार हिस्सेदार व अधिकारी हो चुके हैं। वादपत्र की चरण संख्या 1 के खण्ड अ में वर्णित आराजीयात आराजी संख्या 204, 205, 259, 260, 261, 285, 286 कुल किता 7 कुल रकबा 3.56 हैक्टर में 1/3 हिस्सा नानी का था इसमें से वादी संख्या 1 मेघराज का उक्त वसीयत के अनुसार 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 2 को 1/12 हिस्सा वसीयत किया गया और वादी संख्या 3 को नानी के 1/3 हिस्से का 1/6 हिस्सा वसीयत किया गया। वादपत्र की चरण संख्या 1 के खण्ड ब में वर्णित आराजीयात आराजी संख्या 404, 407, 408 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 हैक्टर में 1/3 हिस्सा नानी का था इसमें से वादी संख्या 1 मेघराज का उक्त वसीयत के अनुसार 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 2 को 1/12 हिस्सा वसीयत किया गया और वादी संख्या 3 को नानी के 1/3 हिस्से का 1/6 हिस्सा वसीयत किया गया। चरण संख्या 1 के खण्ड य में वर्णित आराजीयात आराजी संख्या 258 कुल किता 1 कुल रकबा 2.78 हैक्टर 1/3 हिस्सा नानी का था इसमें से वादी संख्या 1 मेघराज का उक्त वसीयत के अनुसार 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 2 को 1/12 हिस्सा वसीयत किया गया और वादी संख्या 3 को नानी के 1/3 हिस्से का 1/6 हिस्सा वसीयत किया गया। वादपत्र की चरण संख्या 1 के खण्ड द में वर्णित आराजीयात आराजी संख्या 207 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टर में 1/6 हिस्सा नानी का था इसमें से वादी संख्या 1 मेघराज का उक्त वसीयत के अनुसार 1/24 हिस्सा व वादी संख्या 2 को 1/24 हिस्सा वसीयत किया गया और वादी संख्या 3 को नानी के 1/6 हिस्से का 1/12 हिस्सा वसीयत किया गया। वादपत्र की चरण संख्या 1 के खण्ड स में वर्णित आराजीयात आराजी संख्या 416/666 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टर में 1/12 हिस्सा नानी का था इसमें से वादी संख्या 1 मेघराज का उक्त वसीयत के अनुसार 1/48 हिस्सा व वादी संख्या 2 को 1/48 हिस्सा वसीयत किया गया और वादी संख्या 3 को नानी के 1/12 हिस्से का 1/24 हिस्सा वसीयत किया गया। इसी अनुसार वादीगण ने उक्त वसीयतनामा के आधार पर तहसील चित्तौड़गढ़ में नामान्तरकरण हेतु दिनांक 11.06.2019 को प्रार्थना की किन्तु अभी तक उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं हुई और काफी समय व्यतीत हो चुका हैं इस कारण वादीगण यह नियमित वाद घोषणात्मक डिक्री व इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत करने की नौबत आयी हैं। वाद कारण उपरोक्त वर्णित तथ्यानुसार दिनांक 11.06.2019 को तहसील चित्तौड़गढ़ में वसीयत अनुसार नामान्तरकरण करने हेतु तहसील चित्तौड़गढ़ में निवेदन करने व उनके द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज न करने से पैदा होकर निरन्तर जारी है। अतः वादीगण की प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि राजस्व ग्राम लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की कृषि भूमि जो वादपत्र की चरण संख्या 1 अ ब स द य में अंकित हैं में निम्नानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जावे एवं तद्नुसार हिस्से अनुसार वादीगण की सह खातेदारी में आराजीयात दर्ज रेकार्ड किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। इस पर दिनांक 16.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 की और से उनके अधिवक्ता विश्वास शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 7 तक की और से इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली हैं। दिनांक 22.08.2019 को अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण के निवेदन पर पत्रावली सिगहे से तलब की गई एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9 की और से अधिवक्ता प्रतिवादी ने अधिकार पत्र पेश किया एवं इकबालिया जवाबदावा पेश किया। उभयपक्षकारान हाजिर रहे। दिनांक 11.10.2019 प्रतिवादी संख्या 2 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये अधिकार पत्र एवं ईकबालिया जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। नकल वकील वादी को दिलवाई गई। प्रतिवादीगण की और से इकबालिया जवाबदावा पेश किये जाने से प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गई। साक्ष्यवादी में वादी मेघराज पिता रतन लाल गुर्जर निवासी लालजी का खेडा शपथ पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर **PW-1** है एवं स्वतंत्र गवाह सुरेशचन्द्र पिता भैरूलाल शर्मा निवासी लालजी का खेडा का शपथ पत्र पेश किया गया जो कि **PW-2**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। वादी द्वारा अपने शपथ पत्र से दस्तावेजात प्रद्‌र्शित कराये गये जो कि वसीसतनाम (अंतिम ईच्छापत्र) श्रीमती नानी पत्नि मथरा जाति गुर्जर निवासी लालजी का खेडा दिनांक 14.09.2018 है जो कि प्रदर्श–1 है। मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमती नानीबाई पत्नि मथरालाल गुर्जर निवासी लालजी का खेडा दिनांक 02.11.2018 जो कि प्रदर्श–2(अ) है। नकल जमाबंदी मौजा लालजी का खेडा की संवत्‌ 2073–76 के खाता संख्या 141, 217, 152 एवं 143 की जो कि क्रमशः प्रदर्श–3(1, 2, 3, 4) है। इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता वादी ने और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का निवेदन किया इस पर साक्ष्यवादी बंद किये जाने का आदेश दिया गया। प्रतिवादीगण की और से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का निवेदन अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने प्रकरण का निस्तारण आज ही लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों का दौहराया एवं वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाबदावें में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं वादीगण का वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात शपथ पत्रों का अवलोकन किया। चिंतन, मनन किया गया। वादीगण वसीयत के आधार पर अपने हक हिस्से की घोषणा कराना चाहते है जहॉ तक हक अधिकारों की घोषणा का प्रश्न है, हक अधिकारों की घोषणा करने का आधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है, ऐसी स्थिति में लोक अदालत की भावना से एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा लालजी का खेडा पटवार हल्का औछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 204, 205, 259, 260, 261, 285, 286 कुल किता 7 कुल रकबा 3.56 हैक्टर का मेघराज मुकेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पिता रतन गुर्जर 1/6 मदन पिता मथरा गुर्जर 1/6, मौजा लालजी का खेडा पटवार हल्का औछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 404, 407, 408 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 हैक्टर का मेघराज, मुकेश पिता रतन गुर्जर 1/6 मदन पिता मथरा गुर्जर 1/6, मौजा लालजी का खेडा पटवार हल्का औछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 258 कुल किता 1 कुल रकबा 2.78 हैक्टर का मेघराज, मुकेश पिता रतन गुर्जर 1/6 मदन पिता मथरा गुर्जर 1/6, मौजा लालजी का खेडा पटवार हल्का औछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 207 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टर का मेघराज, मुकेश पिता रतन गुर्जर 1/12 मदन पिता मथरा गुर्जर 1/12, मौजा लालजी का खेडा पटवार हल्का औछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 416/666 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टर का मेघराज, मुकेश पिता रतन गुर्जर 1/24 मदन पिता मथरा गुर्जर 1/24 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर उक्त आराजीयात मैंसे नानी बेवा मथरा गुर्जर का नाम हटाया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किया जावें शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **16.10.2019** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

1. मेघराज पिता रतनलाल गुर्जर आयु 38 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. मुकेश पिता रतनलाल गुर्जर आयु 34 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. मदनलाल पिता मथरा गुर्जर आयु 56वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

वादीगण

बनाम

1. रतनलाल पिता मथरा गुर्जर आयु 65 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. कंकूबाई पत्नि सोहनलाल गुर्जर आयु 60 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. गीता पुत्री भगवानलाल गुर्जर आयु 25 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. कालुलाल पुत्र भगवानलाल गुर्जर आयु 20 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
5. कंचन पत्नि कालु गुर्जर आयु 56 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
6. नर्बदा पत्नि भैरुलाल गुर्जर आयु 54 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
7. प्रेम पत्नि कंवरलाल गुर्जर आयु 52 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
8. डाली पत्नि रतनलाल गुर्जर आयु 63 वर्ष निवासी लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
9. श्रवणसिंह राव पिता गणपत सिंह जी राव आयु वयस्क निवासी डेलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ ।
10. तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रतिवादीगण

–:: वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 ::–

प्रकरण संख्या :– 131/2019
(RCMS 2019/00077)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरू **श्री बीएल पोखरना** अधिवक्ता वादी **श्री पंकज टेलर** अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं एवं आदेश दिया जाता हैं कि मौजा लालजी का खेडा पटवार हल्का औछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 204, 205, 259, 260, 261, 285, 286 कुल किता 7 कुल रकबा 3.56 हैक्टर का मेघराज मुकेश पिता रतन गुर्जर 1/6 मदन पिता मथरा गुर्जर 1/6, मौजा लालजी का खेडा पटवार हल्का औछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 404, 407, 408 कुल किता 3 कुल रकबा 0. 62 हैक्टर का मेघराज, मुकेश पिता रतन गुर्जर 1/6 मदन पिता मथरा गुर्जर 1/6, मौजा लालजी का खेडा पटवार हल्का औछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 258 कुल किता 1 कुल रकबा 2.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

78 हैक्टर का मेघराज, मुकेश पिता रतन गुर्जर 1/6 मदन पिता मथरा गुर्जर 1/6, मौजा लालजी का खेडा पटवार हल्का औछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 207 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टर का मेघराज, मुकेश पिता रतन गुर्जर 1/12 मदन पिता मथरा गुर्जर 1/12, मौजा लालजी का खेडा पटवार हल्का औछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 416/666 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टर का मेघराज, मुकेश पिता रतन गुर्जर 1/24 मदन पिता मथरा गुर्जर 1/24 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर उक्त आराजीयात मैंसे नानी बेवा मथरा गुर्जर का नाम हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **16.10.2019** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालेयत	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ